बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या–6/एन–08–05/2006 ..../ पटना, दिनांक ....

राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण (ए0एन0एम0) विद्यालयों की बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता अवधि के समाप्त होने के पश्चात सत्र 2018–19 से मान्यता अवधि में विस्तार हेतु राज्य सरकार से भी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया जाता है।

मान्यता अवधि में विस्तार के लिए इच्छुक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान सर्वप्रथम राज्य सरकार के समक्ष राज्य सरकार तथा भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण किये जाने संबंधी साक्ष्यों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत आवेदन के समीक्षोपरान्त संस्थान के मान्यता अवधि में विस्तार हेतु समुचित निर्णय लिया जायेगा। राज्य सरकार से अवधि विस्तार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से अवधि विस्तार की अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

2 – सत्र 2018–19 हेतु अवधि विस्तार के लिए विभाग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2017 निर्धारित की जाती है, जिसे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आदेशोपरान्त विशेष परिस्थिति में विस्तारित किया जा सकेगा।

3 – अवधि विस्तार हेतु आवेदन शुल्क भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुरूप 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) निर्धारित किया जाता है, जो आवेदन समर्पित किये जाने के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–6/एन–08–05/2006 ...400(6)/ पटना, दिनांक ...18/05/2017

प्रतिलिपि – निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त अधिसूचना को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.5.17

सरकार के अवर सचिव